(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
SDO (गुडामालानी)

03/01/22

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के
संग अभियान कैम्प शिविर
ग्राम पंचायत मुख्यालय गोलिया -
जैतमाल पेश हुई। पक्षकार प्रार्थीगण
उपस्थित / वकील प्रार्थीगण हाजिर।
विभाजन प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति
पेश कर मालिकान विभाजन प्रस्ताव
तस्दीक करने का निवेदन
किया। पटवारी नक्शा जानकारी करवायी
निर्णय पक्षकार को लिखवाया जाकर
खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली
निर्णय मुताबिक होकर दाखिल
दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:14:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 171/2020

प्रार्थीगण

1. केसाराम पुत्र भारूराम
2. जेठाराम पुत्र भारूराम
3. नेनूदेवी पत्नी भारूराम

जाति जाट निवासी सियोलों की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. रावताराम पुत्रमोबताराम
3. माडूदेवी पत्नी रावताराम
4. गुलाराम पुत्र गोमदाराम
5. राणाराम पुत्र सिमरथाराम
6. सवाईराम पुत्र सिमरथाराम

जाति जाट निवासी सियोलों की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 08/01/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 11 रकबा 22–16 बीघा व विप्रार्थी संख्या 2 व 3 का खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 11/1 रकबा 24–00 बीघा व 11/6 रकबा 8–04 बीघा एवं विप्रार्थी संख्या 4 से 7 का खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 11/4 रकबा 8–04 बीघा व 11/2 रकबा 25–16 बीघा सरहद मौजा सियोलों की बेरी में अवस्थित हैं।

प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 के पांचों खसरे मूल खसरा नम्बर 11 से विभक्त होकर बने हैं, विभक्त खसरों का रकबा तो राजस्व रेकर्ड में मौके अनुसार बराबर–बराबर लिखा गया है परन्तु लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते वक्त कब्जे व विभाजन प्रस्ताव से भिन्न कर दी गई है, जिससे राजस्व रेकर्ड (लट्ठा ट्रेस) में भिन्नता आने पर विवाद की स्थिति बन गई है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 11 रकबा 22–16 बीघा की तरमीम मौका कब्जा काश्त व विभाजन प्रस्ताव दुरूस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:14:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 फोलोअप कैम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय गोलिया जैतमाल पेश हुई। वकील प्रार्थीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव की मौका रिर्पोट की प्रमाणित प्रति पेश की। वकील प्रार्थीगण को सुना गया एवं मजमेआम जानकारी ली गई। भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी से जानकारी लेने पर तहसीलदार गुड़ामालानी ने तरमीम माफिक विभाजन विभाजन प्रस्ताव न होकर भिन्न होना स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन एवं पूर्व में विवादित भूमि का इस न्यायालय के निर्णय अनुसार स्वीकृत विभाजन प्रस्ताव एवं वर्तमान तरमीम में तरमीम में भिन्नता है। चूंकि राजस्व कार्मिकों से माफिक विभाजन प्रस्ताव तरमीम करने में भूल रही है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 214/2014 अनवान रावताराम बनाम जेठाराम के निर्णय दिनांक 27.05.2016 द्वारा स्वीकृत विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा सियोलों की बेरी के खेत खसरा नम्बर 11 रकबा 22–16 बीघा की तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबे की सीमा तक शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

आदेश आज दिनांक **03.01.2022** को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 फोलोअप शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय गोलिया जैतमाल में खुले न्यायालय मजमेआम सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:14:09 IST
Reason: SelfAttested